(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3379–दो/2014 विरूद्व आदेश दिनांक 11–09–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सभांग सतना का प्रकरण 34/निगरानी/ 2008–09

---

1. शिवप्रसाद पुत्र रामदुलारे गुप्ता
2. रामायण गुप्ता पुत्र रामदुलारे गुप्ता
3. रामप्रसाद पुत्र रामदुलारे गुप्ता
4. राजेन्द्र पुत्र रामदुलारे गुप्ता

सभी निवासीगण ग्राम रामपुर नैकिन तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0

.....आवेदकगण

बनाम

1. गोमन्दी बाई पत्नी स्व0 प्रेमलाल
2. राजकुमार पुत्र स्व0 प्रेमलाल
3. धमेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 प्रेमलाल
4. आनंन्द कुमार पुत्र स्व0 प्रेमलाल

निवासीगण ग्राम राखोर तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0

.....असल अनावेदकगण

5. कुलदीपक पुत्र गंगाप्रसाद सोनी
6. नारायण पुत्र शिवशरण सोनी
7. पन्नालाल पुत्र रामकृपाल गुप्ता
8. रामसिंह पुत्र राममिलन
9. गंगादीन पुत्र बद्री गुप्ता
10. रक्ष्मण प्रसाद पुत्र रामटहल गुप्ता
11. रामपाल पुत्र राममिलन गुप्ता
12. अनिल कुमार पुत्र रामाधार गुप्ता
13. श्रीमती कुसुम कली बेवा पत्नी छकोड़ीलाल गुप्ता
14. शासन म0प्र0

.....तरतीवी/अनावेदकगण

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक 1 लगायत 13
श्री अजय चतुर्वेदी, अनावेदक कं 14

: : आ दे श : :
(आज दिनांक 4/02/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा सभांग रीवा के आदेश दिनांक 11–09–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने तहसीलदार रामपुर नैकिन जिला सीधी के प्र.क. 100/अ–19/1983–84 में पारित आदेश दिनांक 07–1–1989 के विरूद्ध अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 10–10–2008 से व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया। अपर कलेक्टर के आदेश विरूद्ध आवेदकगण ने अपर आयुक्त रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 11–9–2014 से निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण के पक्ष में तहसीलदार ने व्यवस्थापन आदेश दिया था। जिसके विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर ने यह पाया कि तहसीलदार द्वारा बिना इश्तहार जारी किये एवं बिना आपत्तियां बुलाये तहसीलदार द्वारा विधिक प्रकिया का पालन किये बिना सार्वजनिक निस्तार की भूमि जो वर्ष 1981–82 में झुडपी–जंगल दर्ज थी, का नोईयत परिवतन किये बिना भूमि का व्यवस्थान करने में त्रुटि की है, इसी कारण अपर कलेक्टर ने निगरानी स्वीकार कर व्यवस्थान आदेश निरस्त किया गया है। अपर कलेक्टर के आदेश को अपर आयुक्त ने भी परीक्षण उपरांत सही पाया है। इस न्यायालय में आवेदक ने ऐसा कोई

तथ्य पेश नहीं किया जिससे अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश को गलत माना जा सके।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर कलेकटर जिला सीधी का आदेश दिनांक 10–10–2008 एवं अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 11–9–2014 स्थिर रखा जाता है।

4/02/2019

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर